**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3851**

 **02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा भूमि पर अतिक्रमण**

**3851. श्री राम कुमार कश्यप :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. देश में दिल्ली सहित रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का स्थान तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
2. रक्षा भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाने के क्या कारण हैं;
3. क्या अतिक्रमण संबंधित राज्य सरकारों की सांठ-गांठ से किए जाते हैं;
4. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
5. अनियमितताएं और अवैधताओं को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क): **देश में कुल** 9980.1185 **एकड़ रक्षा भूमि अतिक्रमित है। देश में अतिक्रमित रक्षा भूमि का राज्य-वार ब्यौरा** अनुबंध-क **पर संलग्न है । इसमें से** 111.301 **एकड़ रक्षा भूमि दिल्ली** **में अतिक्रमित है ।**

(ख) अतिक्रमण का पता लगाना, रोकथाम और इसको हटाना एक सतत् प्रक्रिया है । रक्षा भूमि पर अतिक्रमणों को हटाने हेतु कार्रवाई सार्वजनिक स्थल (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के साथ-साथ छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की जाती है । इस समस्या के समाधान के लिए मामले राज्य अथवा नगरपालिका प्राधिकारियों के साथ भी उठाए जाते हैं । लगातार प्रयत्नों के कारण वर्ष 2015-17 की अवधि के दौरान और 31.01.2018 तक 384.177755 एकड़ रक्षा भूमि से अतिक्रमण हटाने में सामने आई कुछ समस्याओं का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैं:-

(i) अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों के रूप में कुछ अतिक्रमण काफी पुराने हैं, जहां राज्य सरकार ने मौलिक नागरिक सुविधाएं मुहैया कराई हैं । ऐसे मामलों को विद्यमान विधि के अनुसार हैंडल किया जाता है ।

(ii) अतिक्रमणकर्ताओं ने कुछ मामलों में खाली करने के आर्डर के विरूद्ध न्यायालय की शरण ली है और इन पर विधिक कार्रवाई चल रही है ।

(iii) कुछ मालमों में, रक्षा भूमियों पर विभिन्न सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के प्राधिकरणों का कब्जा है और इस प्रकार की भूमि को खाली कराया जाना संभव नहीं हुआ है तथा उनके कब्जे को नियमित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ): इस प्रकार राज्य सरकारों ने रक्षा भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए अवप्रेरित नहीं किया है बल्कि अपने कार्यालयों और सार्वजनिक उपयोगिताओं हेतु कुछ रक्षा भूमि पर कब्जा कर रखा है ।

(ङ): अतिक्रमण का पता लगाना, रोकथाम और इसको हटाना एक सतत् प्रक्रिया है । सरकार ने अतिक्रमण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं ।

1. **भूमि अभिलेखों, सर्वेक्षण, सीमांकन और रक्षा भूमि एवं भूमि लेखा परीक्षा की जांच के** लिए **डिजिटाइजेशन के प्रबंधन के जरिए रक्षा भूमि का सुदृढ़ीकरण ।**
2. **नए अतिक्रमणों की निगरानी, पहचान और रोकथाम सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए सरकार द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किया जाना ।**
3. **सतत प्रक्रिया के रूप में वर्ष** 2011-12 **के रक्षा भूमि लेखा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई है ।**
4. **अतिक्रमणकर्ताओं को बेदखल करने के लिए मामलों को न्यायालय में ले जाया जा रहा है ।**
5. **अतिक्रमणकारियों द्वारा रक्षा भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास का पता लगाने के लिए राजस्व और नागरिक पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क रखा जाता है ।**
6. **भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं और अनधिकृत निर्माण से सुरक्षित रखने के लिए निर्जन स्थानों पर स्थित रक्षा भूमि के चारों ओर चारदीवारी बनाई जा रही है और अतिक्रमणकर्ताओं से रक्षा भूमि की सुरक्षा करने तथा अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए नियमित रूप से गश्त लगाई जा रही है ।**

**रक्षा भूमि पर अतिक्रमण के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 3851 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**रक्षा भूमि पर अतिक्रमणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा**

|  |  |
| --- | --- |
| **राज्य** | **क्षेत्रफल (एकड़ में)** |
| आंध्र प्रदेश | 21.97 |
| अंडमान एवं निकोबार | 25.62 |
| असम | 464.756 |
| अरुणाचल प्रदेश | 87.814 |
| बिहार | 478.974 |
| चंडीगढ़ | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 165.768 |
| दादरा तथा नगर हवेली | 0 |
| दमन एवं दीव | 0 |
| दिल्ली | 111.301 |
| गोवा | 4.3 |
| गुजरात | 164.4572 |
| हरियाणा | 737.446 |
| हिमाचल प्रदेश | 60.1571 |
| जम्मू और कश्मीर | 363.6848 |
| झारखंड | 304.932 |
| कर्नाटक | 139.4023 |
| केरल | 2.6839 |
| लक्षद्वीप | 0 |
| महाराष्ट्र | 914.713913 |
| मध्यप्रदेश | 1647.4117 |
| मणिपुर | 6.123 |
| मेघालय | 10.6588 |
| मिजोरम | 0 |
| नागालैंड | 357.53 |
| ओडिशा | 0.27 |
| पुद्दुचेरी | 0 |
| पंजाब | 240.8314 |
| राजस्थान | 484.2085 |
| सिक्किम | 0.299 |
| तेलंगाना | 150.0518 |
| तमिलनाडु | 147.1667 |
| त्रिपुरा | 1 |
| उत्तरप्रदेश | 2276.8759 |
| उत्तराखंड | 55.1443 |
| पश्चिमबंगाल | 554.5672 |
| कुल | 9980.118513 |

नोट: कुछ अतिक्रमण रक्षा और राज्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात पुष्टि किए जाने के अध्यधीन हैं ।

**\*\*\*\*\***